

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 22-ए/2017

संस्थापन दि. 10.02.2017

सी.एन.आर नं. एम.पी.50010006482017

1. चुडेन्द्र कुमार वल्द जागेश्वर, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
2. ईमलाबाई पति डालेन्द्र, उम्र 55 वर्ष, जाति लोधी,
3. शैल वल्द डालेन्द्र, उम्र 36 वर्ष, जाति लोधी,
4. उप्पल वल्द डालेन्द्र, उम्र 34 वर्ष, जाति लोधी,
5. बेनीकुमार वल्द जागेश्वर, उम्र 56 वर्ष, जाति लोधी,
6. ललितकुमार वल्द जागेश्वर, उम्र 44 वर्ष, जाति लोधी,
सभी निवासी ग्राम पारथगांव, तह. लांजी, जिला बालाघाट
7. दिनेश्वरी पति चितरंजन, उम्र 40 वर्ष, जाति लोधी,
निवासी ग्राम कुम्हारी(लांजी), तहसील लांजी,
जिला-बालाघाट(म0प्र0)**आवेदक / वादी**

// विरुद्ध //

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पाथरगांव,
जनपद पंचायत लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट,
2. तहसीलदार, तहसील लांजी जिला बालाघाट
3. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट
जिला बालाघाट (म.प्र.) **प्रतिवादीगण**

वादीगण/आवेदकगण द्वारा श्री वाय.आर.बिसेन अधिवक्ता।

प्रतिवादी/अनावेदक कं. 1 श्री शिरीष दुरुगकर अधिवक्ता।

प्रतिवादी/अनावेदक कं. 2, 3 द्वारा श्री अभिजीत बापट शासकीय अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित }

01— इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।

02— वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण वादपत्र के उल्लेखित उपरोक्त शीर्षक के स्थाई निवासी हैं एवं प्रतिवादी कं.1 ग्राम पंचायत पाथरगांव के निर्वाचित सरपंच है एवं क्रमांक 2 एवं 3 म. प्र.शासन की ओर से प्राधिकृत होकर अधिकृत प्रतिनिधि है तथा वादपत्र के शीर्षक में उल्लेखित उक्त स्थान पर पदस्थ है। वादीगण/आवेदकगण के दादा स्व. ढाडु उरोडे वल्द भोला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्हें दिनांक 13.07.1988 को प्रतिवादी/अनावेदक कं. 3 की ओर से उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण

पत्र प्रदान किया गया था। वादीगण/आवेदकगण के मालकी व कब्जे की ग्राम पाथरगांव प.ह.नं.8, रा.नि.मं. भानेगांव, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में खसरा नं. 122, 147 रकबा 7.00 एकड़ कृषि भूमि है उक्त भूमि से लगकर खसरा नं. 121 रकबा 0.138 एकड़ भूमि जो आबादी मद में दर्ज है, लगी हुई है उक्त भूमि खसरा नंबर 121, 147 रकबा 0.138 में से लगभग 0.22 डिसमिल जमीन पर वादीगण/आवेदकगण के पूर्वज आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व से मकान, हाताबाड़ी बनाकर निवास करते आ रहे हैं तथा उक्त भूमि पर वादीगण/आवेदकगण का निरंतर बेरोक-टोक कब्जा चला आ रहा है। राजस्व प्रकरण क्रमांक 60बी-121/वर्ष 2011-12 के माध्यम से वादीगण/आवेदकगण के पिता स्व. जागेश्वरप्रसाद वल्द ढाडु जाति लोधी निवासी पाथरगांव के नाम पर 30 गुणित 30 इस प्रकार कुल 900 वर्गमीटर भूमि का पट्टा प्रदान किया गया। दिनांक 12.03.2012 को वादीगण/आवेदकगण के पूर्वज एवं वादी के नाम से उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया, उक्त भूमि से लगकर ही वादीगण/आवेदकगण के पिता के द्वारा लगी 40-45 वर्ष पूर्व से ही अपने कृषि प्रयोजन के पशु उनको बांधने के लिए एवं उनको रखने के लिए कोठे का निर्माण किया गया है, चूंकि वादग्रस्त उपरोक्त भूमि वादीगण की कृषि भूमि से लगी हुई है तथा उक्त भूमि आबादी भूमि है।

04— वादीगण/आवेदकगण का यह अभिवचन है कि उनको उपरोक्त वादग्रस्त भूमि तथा उसमें निर्मित मकान, हाथाबाड़ी तथा कृषि प्रयोजन के पशु बांधने हेतु निर्मित कोठे को लेकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा विगत 40-50 वर्षों के बीच कोई उजर या आपत्ति नहीं की गई, लेकिन पंचायत चुनाव में प्रतिवादी/अनावेदक क्रं. 1 एवं विधानसभा चुनाव को लेकर वादी से आपसी रंजिश रखने वाले लोगों की झूठी एवं मिथ्या शिकायत पर प्रतिवादी/अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाये मात्र वादी क्रं. 1 को वादग्रस्त उपरोक्त भूमि से बेदखल करने के आशय से दिनांक 03.02.2017 को आदेश जारी किया गया। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को भली भांति ज्ञात है कि वादग्रस्त उपरोक्त भूमि पर वादीगण/आवेदकगण के दादा स्व. ढाडु जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं अपने जीवन पर्यन्त तक काबिज रहे हैं तथा उसके पश्चात् उनके पुत्र वादग्रस्त उपरोक्त भूमि पर मकान, हाथाबाड़ी बनाकर निवास करते रहे हैं तथा उनके पिता की मृत्यु उपरांत वादीगण/आवेदकगण, वादग्रस्त उपरोक्त भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त उपरोक्त भूमि पर स्थित मकान, हाथाबाड़ी एवं कृषि प्रयोजन के पशु बांधने के कोठे के अलावा अन्य कोई मकान, हाताबाड़ी नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादीगण/आवेदकगण, प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण/आवेदकगण अनाधिकृत रूप से बेदखल किया जाता है तो वादीगण/आवेदकगण को अपूर्ण क्षति होगी, जिसकी भरपाई द्रव्य से या अन्य साधनों से सीावन नहीं है। प्रथम दृष्टया वाद वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना अति आवश्यक है।

05— प्रतिवादी/अनावेदक क्रं. 2 व 3 की ओर से उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर विशिष्ट कथन किया गया है कि वादी क्रं. 1 के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण वर्ष 2011 से प्रारंभ था जिसमें प्रतिवादी/अनावेदक क्रं. 2 ने सुनवाई कर, वादी को सुनकर तथा स्थल पंचनामा आदि बुलवाने के बाद अतिक्रमण होने के कारण 1500/-के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं बेदखली वारंट जारी कर कब्जा हटाने के लिए दिनांक 17.02.2011 को लेखबद्ध कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी लांजी को

भेज दिया था, जहां अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादी को सुनकर प्रकरण में कई कमियों के आधार पर प्रकरण विधि अनुकूल कार्यवाही किए जाने के संबंध में वापस प्रतिवादी क्रं. 2 के कार्यालय में भेज दिया गया। वादी द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालाघाट में प्रकरण पेश किया गया था, जो कि अदम पैरवी में दिनांक 12.04.2003 को निरस्त किया गया अतः ऐसी स्थिति में 07.11.14 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 2 के आदेश दिनांक 17.02.2011 को यथावत रखा गया है। रा.प्र.क्रं. /53/अ-68/वर्ष 2010-11 मौजा पाथरगांव का प्रकरण न्यायालय में लंबित था और प्रकरण चलते रहने के दौरान दिनांक 07.12.2016 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादी क्रं. 1 के विरुद्ध आदेश पारित किए गए हैं, जिसके अनुपालन में प्रतिवादी/अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश जारी किए गए थे, जो विधि अनुकूल है। अतः वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

06— प्रतिवादी/अनावेदक 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

07— विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1, 2 व 3 का निष्कर्ष :-

08— सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी/आवेदक ने यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसके दादा स्वतंत्रा सेनानी रहे हैं। वर्ष 2011-12 में वादीगण/आवेदकगण के पिता को 30 बाई 30 वर्गमीटर भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था, जिस पर की वादीगण/आवेदकगण उस पर अपना मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, उक्त भूमि से लगकर आबादी भूमि है, जिस पर वादीगण 40-45 वर्ष पूर्व से कृषि प्रयोजन के पशु बांधने के लिए और रखने के लिए उस पर कोठे का निर्माण कर उपयोग कर रहे हैं। चुनाव रंजिश पर से प्रतिवादी क्रं. 1 उन्हें उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है, जबकि उक्त भूमि पर उनका 40-45 वर्ष से कब्जा है। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण ने अपने आवेदन के जवाब में वादीगण/आवेदकगण का 30 बाई 30 का पट्टा होना स्वीकार किया है, किंतु वादग्रस्त भूमि पर 40-45 वर्षों से कब्जा होने से इंकार किया है और वादीगण/आवेदकगण के द्वारा अतिक्रमण होना बताते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अभिवचन किया है।

09— वादीगण/आवेदकगण स्वयं की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है। वादीगण/आवेदकगण की ओर से उन्हें प्राप्त 30 बाई 30 के पट्टे की प्रति तथा उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज व बिजली का बिल प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार की जा रही बेदखली की कार्यवाही का नोटिस प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त वादीगण/आवेदकगण की ओर से अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण/आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर 40-45 वर्षों से

अपना स्थापित आधिपत्य होना बताया है, किंतु उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही किसी के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं, प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के द्वारा वादीगण/आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रामक मानते हुए भी बेदखली की कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है। वादीगण/आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर स्थापित आधिपत्य हो, इसे दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। अतः वादीगण/आवेदकगण की स्थिति अतिक्रामक की दर्शित होती है और अतिक्रामक का अधिकार सुरक्षित रखना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है, तथा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के द्वारा की गई कार्यवाही विधिपूर्ण तरीके से किया जाना दर्शित होता है।

10. अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह दर्शित नहीं होता है कि वादग्रस्त स्थान पर वादीगण/आवेदकगण का स्थापित आधिपत्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में दिखाई नहीं देता है इसलिए अपूर्ण्य क्षति और सुविधा का संतुलन का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में नहीं है।

11— अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में न होने से वादीगण/आवेदकगण का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी. पी.सी. आई.ए.नंबर-2 का विधिसंगत नहीं होने से **निरस्त** किया जाता है।

12— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही/—
(अपर्णा आर.शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही/—
(अपर्णा आर. शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)